राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)

टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–कसइतरेंजींद / हउंपसण्बवउ

क्रमांक : पीएसकेएस / अभियान–21 / डीएलबी / 2022 / 6294 दिनांक : 03/08/2022

आदेश

जयपुर तथा कुछ अन्य बड़े शहरों में जहां पर नगर निगम / परिषद के साथ–साथ प्राधिकरण / नगर विकास न्यास भी कार्यरत है, उनमें कच्ची बस्तियों के क्षेत्राधिकार को लेकर आमजन में भ्रान्ति बनी रहती है कि संबंधित कच्ची बस्ती के पट्टे किस प्राधिकरण / नगरीय निकाय / न्यास स्तर से जारी होगें।

स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र दिनांक 25.04.2007 के बिन्दु संख्या 3.1 (ख) में अंकित है कि जिस स्थानीय निकाय के क्षेत्र में कच्ची बस्ती होगी उसका नियमन / विकास उसी स्थानीय निकाय यथा नगर निगम / परिषद् / पालिका / जयपुर विकास प्राधिकरण / नगर विकास न्यास द्वारा नियमन किया जावेगा।

अतः ऐसे नगरीय क्षेत्रों में जहां पर नगर निगम / परिषद् के साथ–साथ प्राधिकरण / नगर विकास न्यास भी कार्यरत है, वहाँ आपस में समन्वय स्थापित कर सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों की सूची मय क्षेत्राधिकार स्पष्ट करते हुए जिला वेबसाइट पर अपलोड कर संबंधित विभाग को 01 सप्ताह में भिजवावे ताकि उक्त सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों की सूची को विभाग एवं अभियान की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

(डॉ जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(कुंजीलाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : पीएसकेएस / अभियान–21 / डीएलबी / 2022 / 6295-6562 दिनांक : 03/08/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि, आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं सयुंक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. सयुंक्त सचिव प्रथम, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण को आपस में समन्वय स्थापित कर क्षेत्राधिकार का निर्धारण कराने हेतु।
8. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन नगरीय निकायों से कच्ची बस्ती मय क्षेत्राधिकार की सूचना संकलित की जाकर ईकजाई कर विभाग में संचालित कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ में भिजवावें।

9. **कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ, निदेशालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना संकलित कर निर्धारित प्रपत्र में विभाग तथा अभियान की वेबसाइट पर अपलोड करावें।**
10. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, राजस्थान प्राधिकरण/नगर विकास न्यास से समन्वय स्थापित कर अपने क्षेत्राधिकार की कच्ची बस्ती मय क्षेत्राधिकार की सूचना संबंधित उप निदेशक (क्षेत्रीय) को भिजवायेंगे।
11. समस्त सचिव, नगरीय विकास न्यास, राजस्थान को आपस में समन्वय स्थापित कर क्षेत्राधिकार का निर्धारण कराने हेतु।
12. संयुक्त निदेशक, आई.टी. अनुभाग निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग